

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम

दिनांक हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.

14<sup>5</sup>  
18

प्रावणी कर्मचारी कोर्ट में थका (कोर्ट) दोनों  
 पक्षों को स्थानिक विशेषज्ञता से प्रावणी किया  
 जाता है कि ता: कलम 148 को की  
 यथास्थिति कारण रखें। प्रावणी कलम 148  
 अनुसार होकर नजर से काम हो तथा प्रावणी  
 तकनीक संलग्न प्रावणी प्रावणी है।